कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र – (उ0प्र0)

☎ 05446–252020 PIN Code: 231217 Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक– 652 / रेनुकूट / 15–26 दिनांक,रेनुकूट,अगस्त, 26 , ,2021

सेवा में,

श्री विवेक कुमार
हेड लीगल
मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0
रेनुकूट–सोनभद्र ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को 132 के0वी0 विद्युत पारेषण लाइन के खम्भे आदि लगाने हेतु पूर्व में पट्टे पर दी गयी 6.394 हे0 वन भूमि की लीज को पुनः 25 वर्षो हेतु दिनांक– 01.04.2022 से दिनांक– 31.03.2047 तक नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में ।
(ऑन लाईन नवीनीकरण प्रस्ताव संख्या–FP/UP/TRANS/140402/2021)

संदर्भः– 1–भारत सरकार , पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) बी–1/72 सेक्टर के0 अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या– 8बी/04/2074/2000/एफ0सी0/726 दिनांक– 06.10.2000
2–संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ का पत्रांक–774/14–2–2000–749/72लखनऊ दिनांक– 02.03.2001

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने का कष्ट करें । उक्त पत्रो द्वारा जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को 132 के0वी0 विद्युत पारेषण लाइन के खम्भे आदि लगाने हेतु पूर्व में पट्टे पर दी गयी 6.394 हे0 वन भूमि की लीज को 25 वर्षो हेतु दिनांक– 01.04.1997 से दिनांक– 31.03.2022 तक के लिए नवीनीकरण किया गया है । उक्त नवीनीकरण की अवधि दिनांक– 31.03.2022 को समाप्त होने के उपरान्त आगामी 25 वर्षो हेतु दिनांक– 01.04.2022 से दिनांक– 31.03.2047 तक नवीनीकरण किये जाने हेतु ऑन लाईन नवीनीकरण प्रस्ताव संख्या–FP/UP/TRANS/140402/2021 परिवेश पोर्टल पर अपलोड करते हुए नवीनीकरण प्रस्ताव की पॉच प्रतियॉ प्रभाग में दिनांक– 13.08.2021को उपलब्ध कराया गया है ।

प्रश्नगत नवीनीकरण प्रस्ताव का परीक्षण कराने के उपरान्त निम्नलिखत कमियॉ/अभिलेखो का अभाव पाया गया है :–

क्र0सं0	नवीनीकरण प्रस्ताव में पायी गयी कमियॉ/अभिलेखो का अभाव पाया गया है उसका विवरण
1	फार्म –'ख' के भाग–I दो पन्ना में है । दूसरे पन्ने में केवल हस्ताक्षर है जिसे एक पन्ना में किया जाय या दूसरे पन्ने में भी विवरण के साथ हस्ताक्षर , तारीख एवं स्थान होना चाहिए ।
2	फार्म –'ख' के भाग–I के बिन्दु संख्या– 3 में पूर्व एवं वर्तमान का पूर्ण विवरण भरा जाय जिसमें प्रस्तावित समस्त भूमि का विवरण अभिलेखो के आधार पर अंकित हो ।
3	फार्म –'ख' के भाग–II में भरा हुआ विवरण पुराना है जिसे नया प्रभाग स्तर से प्राप्त करते हुए प्रस्ताव में संलग्न किया जाय ।
4	फार्म –'ख' के भाग–IV एवं V में क्रम संख्या गलत अंकित है जिसे सही कराते हुए संलग्न किया जाय
5	भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगायी जाने वाली शर्तो के अनुपालन संबंधी वनचबद्धता पमाण–पत्र में विधिक शर्तो का उल्लेख करते हुए वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है जो स्वीकार नही है । संलग्न प्रमाण पत्र में वर्ष 1972 में लीज स्वीकृति का उल्लेख है किन्तु उसका आदेश का विवरण अंकित नही किया गया है जिसे अंकित किया जाय । उक्त दोनो कमियो का निराकरण कराते हुए दूसरी वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय ।

Scanned with CamScanner

6	प्रश्नगत नवीनीकरण प्रस्ताव में संलग्न जितने भी वचनबद्धता प्रमाण पत्र/प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है उसमे विधिक शब्दो को हटाते हुए एवं 1972 के आदेशो का उल्लेख करते हुए वचनबद्धता प्रमाण–पत्र/प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय ।
7	प्रश्नगत नवीनीकरण प्रस्ताव में संलग्न भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा पूर्व में लगायी गयी शर्तो के अनुपालन संबंधी प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है जो अपूर्ण है । कृपया भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या तैयार कराते हुए प्रस्ताव में संलग्न किया जाय ।
8	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न नही किया गया है जिसे संलग्न किया जाय ।
9	प्रस्ताव में संलग्न वन स्वरूप क्षेत्र प्रभावित न होने संबंधित प्रमाण–पत्र त्रुटिपूर्ण है । त्रुटिरहित प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाय ।
10	प्रस्ताव में संलग्न भूमि का विवरण/लैण्ड शिडयूल प्रमाण संलग्न किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नही है । संशोधित लैण्ड शिडयूल संलग्न किया जाय ।
11	संयुक्त निरीक्षण प्रमाण –पत्र में रेंज के स्टाफ का हस्ताक्षर नहीं है।
12	प्रस्तावित वन भूमि सेन्चूरी एरिया की परिधि से 10 कि0मी0 बाहर है इसकी पुष्टि में प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग का प्रमाण–पत्र प्राप्त करते हुए प्रस्ताव में संलग्न किया जाय ।
13	प्रस्ताव में लीज रेंट से संबंधित विवरण संलग्न किया गया है जिसे क्रम संख्या– 7 के अनुसार संलग्न किया जाय ।
14	जिलाधिकारी द्वारा दिनांक– 01.08.2020 से जारी भूमि की वर्तमान बाजार दर की प्रति संलग्न की गयी है । कृपया अद्यतन सूची संलग्न की जाय । यदि कोई सूची अद्यतन जारी नही हुयी है तो इसकी पुष्टि में सक्षम अधिकारी के स्तर से जारी प्रमाण पत्र/पत्र कि दिनांक– 01.08.2020 के पश्चात कोई सर्किल दर जारी नही हुयी है की प्रति संलग्न की जाय ।
15	परियोजना से लाभान्वित होने वाले ग्रामो/परिवारो का विवरण संलग्न किया गया है जिसमें ग्राम–पिपरी का उल्लेख है जबकि प्रश्नगत परियोजना में ग्राम –पिपरी की कोई भूमि वन विभाग द्वारा लीज पर हस्तान्तरित नही की गयी है । कृपया त्रुटिरहित विवरण संलग्न किया जाय ।
16	प्रस्ताव में संलग्नक संख्या–25 के रूप में संलग्न प्रमाण–पत्र में वन ग्राम पिपरी का उल्लेख किया गया है जबकि वन विभाग द्वारा ग्राम–पिपरी की कोई वन भूमि लीज पर हस्तान्तरित नही की गयी है । कृपया त्रुटिरहित प्रमाण पत्र एवं विवरण संलग्न किया जाय ।
17	प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त समस्त अभिलेख सही होने तथा कोई तथ्य छिाये नही गये है के संबंध में प्रमाण–पत्र संलग्न है । संलग्न प्रमाण–पत्र में प्रतिहस्ताक्षरित मुख्य वन संरक्षक का नाम हटाते हुए संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय ।
18	प्रस्ताव में संलग्न जी0ओ0 रेफरेन्स मानचित्र में अंकित लीजेन्ड में हिण्डालको लैण्ड, रिहन्द रिजर्व वायर लैण्ड का भी उल्लेख किया गया है । उक्त की पुष्टि हेतु अभिलेख संलग्न किया जाय ।
19	प्रस्ताव में संलग्न एस0ओ0आई टोपोशीट की पूरी शीट संलग्न नही है जिसे संलग्न किया जाय ।
20	इको क्लास एवं वानस्पतिक धनत्व के अनुसार एन0पी0वी0आंकलन प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है । संलग्न प्रमाण–पत्र में वर्ष 1972 में हस्तान्तरित वन भूमि से संबंधित समस्त आदेशो को समावेश करते हुए संशोधित प्रमाण पत्र संस्थान के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षरोपरान्त संलग्न किया जाय ।
21	प्रस्तावित वन भूमि के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रभागीय वनाधिकारी की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट टंकित कराते हुए संलग्न किया गया है । संलग्न किये गये प्रमाण पत्र में वर्ष 1972 के आदेशो का भी उल्लेख करते हुए संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय ।
22	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के संबंध में प्रमाण– पत्र संलग्न नही किया गया है जिसे संलग्न किया जाय ।
23	परियोजना के वन क्षेत्र में स्थापित करने का औचित्य संलग्न नही है जिसे संलग्न किया जाय ।

Scanned with CamScanner

24	पर्यावरणीय स्वीकृति आदेश संलग्न नही है जिसे संलग्न किया जाय ।
25	परियोजना में प्रभावित वन भूमि 6.394 हे0 के सापेक्ष क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित दुगूने अवनत वन क्षेत्र 13.00 क्षेत्रो का विवरण पिपरी रेंज से प्राप्त करते हुए संलग्न किया जाय ।
26	उक्त 13.00 हे0 अवनत वन भूमि का चयन होने के उपरान्त क्षतिपूरक वनीकरण की योजना/व्यय अनुमान पत्र 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित प्रभाग से प्राप्त करते हुए संलग्न किया जाय ।
27	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होने संबंधी प्रमाण पत्र क्षेत्रीय वन अधिकारी पिपरी से प्राप्त करते हुए संलग्न किया जाय ।
28	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र से संबंधित जी0ओ0रेफरेन्स मानचित्र की प्रति शीर्षक एवं लीजेन्ड सहित संलग्न की जाय ।
29	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रो से संबंधित सर्वे आफ इण्डिया की पूरी टोपोशीट शीर्षक एवं लीजेन्ड सहित संलग्न किया जाय ।
30	प्रस्तावित वन भूमि से संबंधित के0एम0फाईल एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र से संबंधित के0एम0फाईल की सी0डी0
31	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्डकापी उपरोक्तानुसार आपत्ति निराकरण कराने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी के परामर्श के उपरान्त प्रस्ताव के प्रथम पृष्ठ (विषय सूची) से लेकर प्रस्ताव के अतिम पृष्ठ तक पेज नम्बरिंग की जायेगी और तदोपरान्त उसकी PDF File पेनड्राइव में तैयार कराते हुए प्रस्ताव प्रभाग में उपलब्ध कराया जायेगा । उपरोक्त समस्त कमियो के निराकरण के उपरान्त फार्म–बी एवं अन्य अभिलेखो की प्रति संस्थान के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षरोपरान्त ही प्रभाग में प्राप्त किया जायेगा ।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार पॉच प्रतियों में।

भवदीय

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

संख्या– 652 अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपिः क्षेत्रीय वन अधिकारी पिपरी को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रभावित वन भूमि 6.394 के दुगूने अवतन वन भूमि 6.394 X 2 = 12.788 या 13.00 हे0 जिसका वानस्पतिक धनत्व 0.4 (40 प्रतिशत) से कम हो, अतिक्रमित न हो एवं वनीकरण हेतु उपयुक्त हो, का चयन करते हुए उसका वन ब्लाक का नाम, सकल क्षेत्रफल एवं वनीकरण हेतु शुद्ध क्षेत्रफल, सर्कुलर जी0पी0एस0 सहित प्रयोक्ता अभिकरण के नामित प्रतिनिधि द्वारा आपसे सम्पर्क स्थापित करने पर उन्हे उपलब्ध कराया जाय ताकि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा चयनित क्षेत्रफल का जी0ओ0रेफरेन्स मानचित्र एवं टोपोशीट आदि तैयार कराते हुए नवीनीकरण प्रस्ताव में संलग्न किया जा सके ।

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

Scanned with CamScanner